संख्या : 43 / XIII-II / 2013–50(05)टी.सी.–1 / 2013

प्रेषक,

**ओमकार सिंह,**
**उपसचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**परियोजना निदेशक,**
**आई.एल.एस.पी. परियोजना ,**
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 18 फरवरी, 2014

**विषयः प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (आई.एल.एस.पी.) के** Financial System Manual for Gram Panchayat And Community Procurement Manual **के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1236 / 11–7 **(आई0एल0एस0पी0)** दिनांक 25.11.2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिनके द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना( आई.एल.एस.पी.) के संचालन / क्रियान्वयन हेतु Financial System Manual for Gram Panchayat And Community Procurement Manual का शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– तत्क्रम में आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना(आई0एल0एस0पी0) के संचालन / क्रियान्वयन हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराए गये वित्त एवं क्रय से संबंधित Financial System Manual for Gram Panchayat And Community Procurement Manual के अनुमोदन की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि Financial System Manual for Gram Panchayat And Community Procurement Manual में धनराशियों का आहरण एवं सत्यापन प्रत्येक दशा में गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ–साथ एक नियमित (जो सेवानिवृत्त भी न हों) कार्मिकों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 150(P) / XXVII-4 / 2013, दिनांक 12.2.2014 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

( ओमकार सिंह )
उपसचिव।

संख्या : 43 (1) / XIII-II/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( ओमकार सिंह )
उपसचिव।